संख्या-629/2023/आई/390402/41-1002(001)/63/2022

प्रेषक,

संजीव कुमार श्रीवास्तव,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग **लखनऊ, दिनांक 19 सितम्बर, 2023**

विषयः-जनपद वाराणसी के गुरू सन्त रविदास जी की जन्मस्थली सीरगोवर्धन के पर्यटन विकास के अन्तर्गत पार्क की बाउण्ड्रीवाल, गेट एवं पेडेस्टल के निर्माण कार्य हेतु संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-2048/6-1-1(1019)/2019-20 दिनांक 04.07.2023 एवं पत्र संख्या-2929/6-1-1(1019)/2018-19 दिनांक 04.08.2023 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. अवगत कराना है कि जनपद वाराणसी में स्थित गुरू रविदास जी की जन्म स्थली सीरगोवर्धन के पर्यटन विकास कार्य हेतु शासनादेश संख्या-41-2019/605/41-2019-20 (बजट)/2019 दिनांक 18.02.2019 द्वारा रू0 1309.58 लाख की प्रशासकीय एवं प्रथम किश्त के रूप में रू0 200.00 लाख वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी। तदोपरान्त शासनादेश संख्या-212/2019/1837/41-2019-20(बजट)/ 2019 दिनांक 16.08.2019 द्वारा रू0 1514.02 लाख + जी0एस0टी0 (वास्तविक भुगतान के आधार पर) की संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति निर्गत की गयी। तत्पश्चात शासनादेश संख्या-190/ 2021/936/41-2021-20(बजट)/2019 दिनांक 05.03.2021 द्वारा रू0 196.00 लाख, शासनादेश संख्या-557/2021/ 4071/41-2021-20(बजट)/2019, दिनांक 28.10.2021 द्वारा रू0 823.47 लाख, शासनादेश संख्या-718/2021/4506/41-2021-20(बजट)/2019, दिनांक 13.12.2021 द्वारा रू0 37.11 लाख एवं शासनादेश संख्या-250/2022/971/001-41-2022-20(बजट)/2019, दिनांक 19.04.2022 द्वारा रू0 50.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी। इस प्रकार प्रायोजना हेतु रू0 1306.58 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है।

आपके द्वारा प्रायोजनान्तर्गत पूर्व में स्वीकृत उपर्युक्त 03 घटकों/सड़कों (ट्रामा सेन्टर से रविदास मंदिर तक 2350 मीटर सड़क के निर्माण, संत रविदास मंदिर मोड़ से एन0एच0 रोड तक प्रस्तावित 12 मीटर चौड़ी सड़क निर्माण (लम्बाई 0.750 कि0मी0) एवं बी0एच0यू0 से वाया रविदास मंदिर एन0एच0 रिंग रोड तक सुदृढ़ीकरण का कार्य (लम्बाई 1.650 कि0मी0)) के निर्माण सम्बन्धी कार्यों को निरस्त करते हुए जिलाधिकारी, वाराणसी के निवर्तन पर 18 माह से अप्रयुक्त पड़ी धनराशि रू0 653.97 लाख को ब्याज सहित राजकोष में जमा कराये जाने का अनुरोध के क्रम में शासनादेश संख्या-560/2023/आई/370791/41-1002(001)/63/2022 दिनांक 18.08.2023 के माध्यम से प्रायोजनान्तर्गत उक्त 03 घटक कार्यों की प्रायोजना को निरस्त करते हुए शासनादेश दिनांक 28.10.2021 के माध्यम से तृतीय किश्त के रूप में निर्गत धनराशि रू0 823.47 लाख में उक्त कार्यो हेतु जिलाधिकारी, वाराणसी के निवर्तन पर रखी गयी धनराशि रू0 653.97 लाख को ब्याज सहित राजकोष में जमा कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

3. प्रकरण में वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी के पत्र दिनांक 08.12.2022 के क्रम में प्रायोजनान्तर्गत पार्क की बाउण्ड्रीवाल, गेट एवं पेडेस्टल के निर्माण कार्य हेतु स्वीकृत धनराशि रू0 100.00 लाख एवं रू0 30.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

लाख के क्रम में वर्तमान में पार्क की बाउण्ड्रीवाल व गेट के निर्माण कार्य हेतु रू0 131.33 लाख एवं पेडेस्टल के निर्माण कार्य हेतु रू0 57.09 लाख का संशोधित व्यय अनुमान आंकलित किया गया है। इस प्रकार पार्क की बाउण्ड्रीवाल व गेट के निर्माण एवं पेडेस्टल के निर्माण कार्य हेतु पूर्व स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष रू0 188.42 लाख की संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति का अनुरोध किया गया है। तद्क्रम में महानिदेशक पर्यटन द्वारा रू0 188.42 लाख की संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उक्त के क्रम में महानिदेशक पर्यटन द्वारा अपने पत्र दिनांक 04.08.2023 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि अप्रेजल समिति द्वारा जनपद वाराणसी के गुरू सन्त रविदास जी की जन्मस्थली सीरगोवर्धन के पर्यटन विकास के अन्तर्गत पार्क की बाउण्ड्रीवाल, गेट निर्माण हेतु प्रस्तावित लागत रू0 131.33 लाख के सापेक्ष रू0 124.09 लाख तथा पेडेस्टल के निर्माण कार्य हेतु प्रस्तावित लागत रू0 57.09 लाख के सापेक्ष रू0 53.94 लाख की धनराशि मूल्यांकित की गयी है। इस प्रकार उक्त दोनों कार्यों हेतु कुल रू0 188.42 लाख के सापेक्ष रू0 178.03 लाख की धनराशि मूल्यांकित की गयी है।

4. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद वाराणसी के गुरू सन्त रविदास जी की जन्मस्थली सीरगोवर्धन के पर्यटन विकास के अन्तर्गत पार्क की बाउण्ड्रीवाल, गेट एवं पेडेस्टल के निर्माण कार्य हेतु रू0 178.03 लाख (जी0एस0टी0 सहित) की संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) प्रश्नगत परियोजना हेतु पर्यटन अनुभाग, उ0प्र0 शासन के शासनादेश दिनांक 28.10.2021 में अंकित शर्तों व प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(2) प्रश्नगत कार्यों की निविदा में ई-टेन्डरिंग की प्रकिया लागू की जायेगी। ई-टेन्डरिंग प्रकिया में आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-3/2017/1067/78-2-2017-42 आईटी/2017 दिनांक 12.05.2017 में निहित शर्तो एवं प्राविधानों का अनुपालन पूर्णतया सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय वित्त (आय-व्ययक),अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक-17.03.2023 में निहित शर्तों एवं प्रावधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा।

(4) प्रायोजना के निर्माण कार्य में वस्तु एवं सेवाकर (जी0एस0टी0) की धनराशि कार्यदायी संस्था को वास्तविक भुगतान के अनुसार नियमानुसार अनुमन्य होगी तथा इस सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था द्वारा सक्षम स्तर से अनुमोदित जी0एस0टी0 भुगतान के सम्बन्ध में प्रामाणिक प्रपत्र महानिदेशक पर्यटन के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त लेबर सेस के रूप में प्रदान की गयी धनराशि श्रम विभाग को भुगतान किये जाने का प्रमाण पत्र कार्यदायी संस्था से प्राप्त कर शासन को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ उपलब्ध कराया जायेगा।

(5) यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यों की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर कार्यदायी संस्था द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों का पर्यवेक्षण (मानीटरिंग) महानिदेशक, पर्यटन द्वारा सुनिश्चित कराया जाय।

(6) प्रश्नगत परियोजना में होने वाले निर्माण कार्य के सम्बन्ध में यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि निर्माण कार्य आगणन के अनुरूप उसके तकनीकी अनुमोदन के अनुसार किया किया गया है तथा परियोजना को कार्यदायी संस्था से हस्तगत कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करा लिया जायेगा एवं निर्मित परिसम्पत्ति का समुचित रख-रखाव सुनिश्चित किया जायेगा एवं इसकी अद्यतन प्रगति रिपोर्ट ई-परियोजनाओं की समीक्षा के पोर्टल पर अंकित कराते हुए शासन को अवगत कराया जायेगा।

(7) परियोजना में टाइम ओवर-रन/कास्ट ओवर-रन को नियन्त्रित करने के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-07/2017/बी-1-823/दस-2017-एम-04/2017 दिनांक 21 जून,

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2017 में दिये गये निर्देशों तथा बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 (VII) में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(8) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्तांकित स्वीकृत योजनान्तर्गत कार्यों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस योजना की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो और इसके रख-रखाव हेतु राज्य सरकार के ऊपर व्यय-भार न पड़े। कार्यदायी संस्था से कार्य की समाप्ति के पश्चात सम्प्रेक्षित लेखे अनिवार्य रूप से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(9) प्रायोजना की संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति कार्यदायी संस्था एवं पर्यटन निदेशालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना/विवरण के आधार पर प्रदान की जा रही है। यदि परियोजना के मानक के सम्बन्ध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका पूर्ण उत्तदायित्व कार्यदायी संस्था एवं पर्यटन निदेशालय एवं क्षेत्रीय अधिकारियों का होगा।

(10) महानिदेशक पर्यटन द्वारा कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कार्यदायी संस्था से सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त किये जायेंगे।

4. उपर्युक्तानुसार संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-बी-2-2528/दस-2014-10-77 दिनांक 26.08.2014 के द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नंलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- आयुक्त वाराणसी मण्डल, वाराणसी।
4- जिलाधिकारी, वाराणसी।
5- उपाध्यक्ष, वाराणसी विकास प्राविधकरण, वाराणसी।
6- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ/सम्बन्धित कोषाधिकारी।
7- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
8- उप निदेशक, पर्यटन (रा0यो0) निदेशालय, लखनऊ।
9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
10- उप निदेशक, पर्यटन वाराणसी एवं विंध्याचल मण्डल, वाराणसी।
11- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in